# न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

| मि0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 65 / 2025 | 22.05.2025 | 18.02.2026 |

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– घनश्याम आत्मज प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

1– उषा बाई पुत्री मदनलाल पत्नी राजेश जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणी माता का चौक सांगोद जिला कोटा।
2– मन्जू पुत्री मदनलाल पत्नी रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
3– मधु बाई पुत्री मदनलाल पत्नी रामराय जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णा नगर गली नं0 7 बजरंग नगर, कोटा।
4– दीनदयाल आत्मज हीरालाल जी जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थी(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी

निर्णय

प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी बाबत निम्न निवेदन करता है:–

1– यह कि उक्त शीर्षक का प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जेरकार है।

2– यह कि वादी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त वाद वादी द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया।

3– यह कि वाद मद नं0 3 खातेदार मदनलाल यानी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई तहरीर नहीं लिखी गई थी और वादी का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

4– यह कि उक्त आराजीयात पर प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी प्रतिवादीगण को कोई मुनाफा काश्त नहीं देता है।

5– यह कि वादी द्वारा जो तहरीर पेश की गई वह गलत तथ्यों पर पेश की गई और तहरीर के आधार पर वादी खातेदार होने का अधिकारी नहीं है तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को है।

सहायक कलक्टर
दीगोद

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार कर वादी का दावा खारीज किये किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादी) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादी) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः—

1— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।

2— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार नहीं है। मदनलाल जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.06.1972 को तहरीर आलेखित की थी उसके अनुसार वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। तहरीर आलेखित की या नहीं यह साक्ष्य के बाद ही साबित होगा।

3— यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार लिखी गयी है स्वीकार नहीं है। भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है स्वीकार नहीं है। भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण ससुराल में निवास करती है। बल्कि वादी का कब्जा चला आ रहा है। 7 बीघा भूमि का मुनाफा राशि वादी अदा करता चला आ रहा है। यह भी साक्ष्य से ही साबित होगा। प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन :—

1— यह कि प्रतिपक्षीनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सर्वथा, गलत, त्रुटि पूर्ण, निरर्थक एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है अतः प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

2— यह कि प्रतिपक्षीनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता की परिधि में नहीं आने से खारीज किये जाने योग्य है।

3— यह कि प्रस्तुत प्रकरण जवाब व साक्ष्य तथा तनकीयात कायम कर व शहादत फरीकन लेखबद्व कर ही निर्णित किया जा सकता है अतः प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

4— यह कि प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आपत्तियां जवाब प्रार्थना दावा में लेने के लिये स्वतंत्र है जिन्हे बाद तनकीयात व शहादत अन्वीक्षा के पश्चात ही निर्णित किया जा सकता है।

5— यह कि प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही को विलम्बित करने के उददेश्य से असद्भाविक (मेलाफाइड) रूप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

6— यह कि शेष आपत्तियां वक्त समाअत बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0 दी0 सव्यय खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधि0 ने बहस में कथन किया कि वादी को किसी भी कच्ची तहरीर के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा लाने का अधिकार नहीं है। जो न तो बिल के रूप में पढा जा सकता है। प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) वर्तमान में सहखातेदार है। दावा पोषणीय नहीं है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक का समान अधिकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी (वादी) ने बहस में कथन किया कि दावा घोषणा, विभाजन का है। दावा साक्ष्य, तनकीवार निर्धारित किया जाना है। प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) का उक्त आराजीयात

सहायक कलक्टर
दीगोद

पर कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का केवल प्रतिवादी नं0 1 (प्रार्थी) की ओर से लगाया नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज में अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी (वादी) प्रस्तुत वाद अन–रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर होने से प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य है अतः संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 65/2025 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौगोद

सहायक कलक्टर
दौगोद

पर कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का केवल प्रतिवादी नं0 1 (प्रार्थी) की ओर से लगाया नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज में अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी (वादी) प्रस्तुत वाद अन–रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर होने से प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य है अतः संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 65/2025 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दौगोद
दौगोद